

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur

Phone: 0761-2670332, 2670334, 2670335

Fax: 0761-2670333

Website: mpmsu.edu.in



Address:

Madhya Pradesh Medical Science University,
NSCB Medical College Campus
Bhedaghat Road, Jabalpur, MP-482003

क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./सम्बद्धता/2015/112

जबलपुर, दिनांक 18/02/2015

प्रति,

प्राचार्य,
इन्डेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेन्टल साइंस,
इन्दौर

विषय:-

बी.डी.एस.-प्रथम वर्ष एवं एम.डी.एस.-प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम सत्र 2014-15 हेतु पूर्व के विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता का मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में यथास्थिति में सत्र 2014-15 हेतु अस्थायी एवं प्रावधिक रूप से सशर्त अन्तरण करने विषयक।


भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक V-12017/71/2008-DE दिनांक 13/07/2012 द्वारा प्रदत्त मान्यता के आधार पर तदर्थ विद्या परिषद की बैठक दिनांक 12/02/2015 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13/02/2015 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में सत्र 2014-15 हेतु पूर्व के विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता का मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा यथास्थिति में सत्र 2014-15 हेतु पूर्णतः अस्थायी एवं प्रावधिक रूप से सशर्त अन्तरण किया जाता है:-

S. No.	Name of Course	Seats
1	BDS-1 st Year	100

शर्तें :-

1. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में सत्र 2014-15 में सम्बद्धता के अन्तरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चाहे गये विभिन्न परिशिष्टों में से यदि किसी परिशिष्ट के अभिलेख/चाही गयी जानकारी महाविद्यालय द्वारा संलग्न कर प्रेषित नहीं की गई है तो ऐसे अभिलेख/चाही गई जानकारी सम्बद्धता पत्र जारी करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः जमा करायी जाये। अन्यथा स्थिति में सम्बद्धता का अन्तरण निरस्त किया जा सकेगा।
2. आगामी वर्ष 2015-16 की सम्बद्धता/निरंतरता हेतु भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया से अनुमति प्राप्त कर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्धारित सम्बद्धता आवेदन पत्र पर निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा।
3. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक-26 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। जिसकी प्रति विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
4. कॉलेज कोड 28, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया/मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के मापदण्डों के अनुरूप प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से निरंतर करनी होगी।
5. महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की रिक्तियां होने पर तीन माह की अवधि में नियुक्ति करनी होगी अन्यथा महाविद्यालय को प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता का अन्तरण निरस्त कर दिया जा सकेगा।
6. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन किया जाये जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों। इन बैठकों का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
7. विषय से सम्बंधित उपकरणों/पुस्तकों की व्यवस्था डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया तथा विश्वविद्यालय के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करना होगी।
8. डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया तथा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किये गये नियमों एवं मापदण्डों का पालन करना होगा।
9. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

10. विश्वविद्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता का अन्तरण निरस्त किया जा सकेगा।
11. महाविद्यालय में डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया के मापदण्डों के अनुसार नियुक्त किये गये प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियुक्ति आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त अभिलेख (संबंधित की फोटो सहित) विश्वविद्यालय में जमा कराये जाये।



कुलसचिव
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर

क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./सम्बद्धता /2015/ 113


जबलपुर, दिनांक 18/02/2015

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

1. सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) शाखा, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. कार्यालय कुलपति/कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।

INDEX INSTITUTE OF DENTAL
SCIENCES
RECEIVED

Date 05/03/2015
No. 002/2015/IFDS



कुलसचिव
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर